भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-84

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

†84. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ काम नहीं कर रहे हैं तथा उन्होंने देश में कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया है;
(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि जिन मौजूदा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ नहीं है, वे यूजीसी दिशानिर्देशों का अनुपालन करें;
(ग) क्या देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मौजूदा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों के लिए धन की कमी है;
(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन प्रकोष्ठों के लिए पर्याप्त धन का आवंटन तथा वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और
(ङ) क्या कई प्रकोष्ठों को बैठकों तथा चर्चाओं के लिए कोई कमरा आवंटित नहीं किया गया है तथा उन्हें आरक्षण के बारे में जानकारी नहीं है या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित कोटे के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ.सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में समावेशिता को बढ़ावा देने और सरकारी नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्यात्मक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) प्रकोष्ठ हैं। एससी/एसटी सेल छात्रों, शिक्षण संकायों और गैर-शिक्षण संकायों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है जिनसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के कार्यकलापों का व्यय पूरा किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के संबंधित केन्द्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संस्थाएं हैं और उनके अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बैठकें और चर्चा आयोजित करने के लिए अपने विश्वविद्यालयों की अवसंरचना का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, यूजीसी ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को नियमित परामर्श जारी किया है ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के विरुद्ध भेदभाव को रोका जा सके तथा भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके।

*****